न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 05/2022
दायर दिनांकः 25.03.2022
निर्णय दिनांक 08.09.2025

—: अनवान :—

डाउसिंह पिता अजमालसिंह जाति रावत, उम्र 74 वर्ष निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द **— प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द
2. पांचावत समाज मण्डला भीम, जरिये अध्यक्ष पांचावत समाज मण्डला भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 5, पुस्तक संख्या 14 दिनांक 01.06.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भीम से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत निगरानी पट्टा विलेख संख्या 5, पुस्तक संख्या 14 दिनांक 01.06.2017 को पट्टे के विरूद्ध निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी नम्बर 10515/9900 रकबा 110.04 बीघा बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि स्थित है, जिसमें से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निगराकार समाज की बनी हुई दुकानो का पट्टा विलेख जारी किया गया है जिसके चतुर्दिशा पड़ौस व नाप इस प्रकार है कि पूर्व में नाप 35 फीट, पड़ौस — पुराना ब्यावर रोड, पश्चिम में नाप 35 फीट, पड़ौस किरण कुमार नरेन्द्र कुमार, उत्तर में नाप 60 फीट, पड़ौस देवा जी समाज की दुकाने व नोहरा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

व दक्षिणः नाप 60 फीट, पड़ौस हेमराज जी का मकान, कुल क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट हैं। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका इन आधारो पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भीम द्वारा जारी पट्टा विधि के विपरीत है। ग्राम पंचायत भीम द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। ग्राम पंचायत भीम द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए यह पट्टा केवल अपने मिलने वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में सारी कार्यवाही पूरी कर दी है और विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया है। दिनांक 01.06.2017 को ही आवेदन किया गया है तथा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर प्रकरण उसी दिन दर्ज कर दिया गया। उसी दिन आपत्ति आव्हान पत्र एवं निर्णय पत्र जारी करना बताया है। पंचायत की आदेशिका में सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में दिनांक 01.06.2017 को ही सम्पादित की गई है। दिनांक 01.06.2017 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है और पंचायत द्वारा उसी दिनांक को मिसल कायम कर पट्टा जारी करने का निर्णय कर दिया जाता है। सारी कार्यवाही एक ही दिन में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कर दी गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाये गये नियम 1996 के नियम 146, 148, 157 की लेशमात्र भी पालना नहीं की है और उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है जो अवैध व विधि के विपरीत है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सम्पूर्ण पत्रावली में कहीं भी दिनांक का उल्लेख नहीं है। तथा पत्रावली में ग्राम विकास अधिकारी/सचिव के भी हस्ताक्षर नहीं है केवल सरपंच ने प्रारूप में बनी हुई पत्रावली पर हस्ताक्षर कर रखे है। उक्त पट्टा विलेख में वर्णित राशि भी ग्राम पंचायत में जमा नहीं हुई है न ही ग्राम पंचायत ने राशि जमा होने की कोई रसीद ही काटी है। पट्टे की पत्रावली में निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 1 की अनुपालना में आज दिनांक 01.06.2017 को पट्टा जारी किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दिनांक 01.06. 2017 को जारी किये गये समस्त पट्टो में संकल्प संख्या व प्रस्ताव संख्या 1 का ही उल्लेख किया गया है। पंचायत के खाते में किसी प्रकार की राशि उक्त पट्टा जारी करने के संबध में जमा ही नहीं हुई है। सारी कार्यवाही सरपंच ने घर बैठे ही सम्पादित की हे। राशि जमा कराने का कोई रिकार्ड पंचायत में मौजूद ही नहीं है जिससे उक्त पट्टा फर्जी रूप से जारी किया जाना प्रमाणित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत ने करीबन 200 पट्टे एक ही दिन में जारी किये है। विपक्षी संख्या दो को जो पट्टा जारी किये है. वह पुस्तक संख्या 14 में से जारी किया गया है तथा इसी विपक्षी को पटटा संख्या 08 पुस्तक संख्या 13 दिनांक 01.06. 2017 को भी पट्टा जारी किया गया है यानि कि विपक्षी संख्या दो को यह पट्टा जारी करने से पूर्व में जारी पट्टे के पश्चात् 97 पट्टे जारी करने के पश्चात् यह पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भीम द्वारा सारा फर्जीवाडा करते हुऐ ही पटटे बुक को अपने पास रख कर अपने मनमकसूद तरीके से अनैतिक लाभ प्राप्त कर अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुऐ विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई गई है। पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट भी इस भूमि के संबंध में नहीं ली गई है। सम्पूर्ण पत्रावली में पटवारी हल्का से कहीं भी हस्ताक्षर व रिपोर्ट नहीं है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की आबादी होने का सत्यापन

कराये बगैर ही यह पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत. ने उक्त पट्टा जारी करने में किसी भी नियम की पालना नहीं की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का कॉलम पूर्ण रूप से खाली है और उस पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार आपत्ति आव्हान पत्र भी मूल रूप से ही पत्रावली में मौजूद है। पंचायत की आदेशिका भी एवं कार्यवाही भी सारी एक ही दिन में सम्पादित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त जारी किया गया पट्टा न केवल अवैध व विधि विरूद्ध है बल्कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे हैं। निगराकार की उक्त जमीन पैतृक होकर परिवारजन इस पर काबिज होकर दुकानें 30 वर्ष पुरानी बनी हुई है। मेवाड़ गवर्नमेन्ट के समय से इस भुमि पर समाज के लोग काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि पहले भू खण्ड के रूप मे थी जिस पर परिवार जनों ने दुकाने निर्मित की है। उक्त दुकाने निर्मित होने से ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 27.08.2003 को एक आम सूचना प्रकाशित की और उक्त भुमि को पुलिस विभाग को पुलिस चौकी बनाने हेतु प्रदान करने हेतु आपत्ति निकाली गई जिस पर निगराकार द्वारा दिनांक 01.09.2013 को उक्त भुमि उनके कब्जे आधिपत्य की होकर इस पर दुकाने बनी हुई है इस आशय की जवाबदेही दिनांक 01.09.2003 को प्रस्तुत की। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त भुमि पूर्व में मेवाड गोवर्नमेन्ट के समय से हमारे कब्जे आधिपत्य में चली आ रही है सन् 1965–66 में राजस्व रेकार्ड में उक्त भुम आराजी के रूपा में खसरा संख्या 10515 दर्ज हुई थी। मेवाड गोवर्नमेन्ट के समय से ही इस भुमि पर हमारा कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार भीम द्वारा प्रकरण संख्या 367/1981 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.1981 से होती है। इस निर्णय में भी उक्त भुमि पर निगराकार का ही आधिपत्य अर्थात स्वयं निगराकार के पिता का कब्जा भी होना प्रमाणित पाया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे में जो पडौस अंकित किये है उसमें भी निगराकार की दुकाने होना अंकित किया है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मौके पर जो दुकाने बनी हुई है वह निगराकार के परिवारजन की ही है। सरपंच ग्राम पंचायत भीम ने केवल विपक्षी संख्या दो के समाज के लोगो को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से यह पट्टा जारी किया हैं जो न केवल अवैद्य है बल्कि फर्जी एवं कुटरचित रूप से तैयार किया गया है जो निगराकार परिवार की सम्पत्ति को हडपने के उद्येश्य से किया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि का पट्टा निगराकार समाज के पक्ष में जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना के लगातार नियत पेशी पर अनुपरस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 25.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी नम्बर 10515/9900 रकबा 110.04 बीघा बिलानाम गैर काबिल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

काश्त भूमि स्थित है, जिसमें से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निगराकार समाज की बनी हुई दुकानो का पट्टा विलेख जारी किया गया है। फर्जी होकर प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। क्योकि ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में सारी कार्यवाही पूरी कर दी है और विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया है। दिनांक 01.06.2017 को ही आवेदन किया गया है तथा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर प्रकरण उसी दिन दर्ज कर दिया गया। उसी दिन आपत्ति आव्हान पत्र एवं निर्णय पत्र जारी करना बताया है। पंचायत की आदेशिका में सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में दिनांक 01.06.2017 को ही सम्पादित की गई है। दिनांक 01.06.2017 को ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होता है और पंचायत द्वारा उसी दिनांक को मिसल कायम कर पट्टा जारी करने का निर्णय कर दिया जाता है। सारी कार्यवाही एक ही दिन में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कर दी गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाये गये नियम 1996 के नियम 146, 148, 157 की लेशमात्र भी पालना नहीं की है और उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है जो अवैध व विधि के विपरीत है। उक्त सम्पूर्ण पत्रावली में कहीं भी दिनांक का उल्लेख नहीं है। तथा पत्रावली में ग्राम विकास अधिकारी सचिव के भी हस्ताक्षर नहीं है केवल सरपंच ने प्रारूप में बनी हुई पत्रावली पर हस्ताक्षर कर रखे है। उक्त पट्टा विलेख में वर्णित राशि भी ग्राम पंचायत में जमा नहीं हुई है न ही ग्राम पंचायत ने राशि जमा होने की कोई रसीद ही काटी है। पट्टे की पत्रावली में निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 1 की अनुपालना में आज दिनांक 01.06.2017 को पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दिनांक 01.06. 2017 को जारी किये गये समस्त पट्टो में संकल्प संख्या व प्रस्ताव संख्या 1 का ही उल्लेख किया गया है। पंचायत के खाते में किसी प्रकार की राशि उक्त पट्टा जारी करने के संबध में जमा ही नहीं हुई है। सारी कार्यवाही सरपंच ने घर बैठे ही सम्पादित की हे। राशि जमा कराने का कोई रिकार्ड पंचायत में मौजूद ही नहीं है जिससे उक्त पट्टा फर्जी रूप से जारी किया जाना प्रमाणित है। उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत ने करीबन 200 पट्टे एक ही दिन में जारी किये है। विपक्षी संख्या दो को जो पट्टा जारी किये है. वह पुस्तक संख्या 14 में से जारी किया गया है तथा इसी विपक्षी को पटटा संख्या 08 पुस्तक संख्या 13 दिनांक 01.06. 2017 को भी पट्टा जारी किया गया है यानि कि विपक्षी संख्या दो को यह पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्व में जारी पट्टे के पश्चात् 97 पट्टे जारी करने के पश्चात् यह पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भीम द्वारा सारा फर्जीवाडा करते हुऐ ही पटटे बुक को अपने पास रख कर अपने मनमकसूद तरीके से अनैतिक लाभ प्राप्त कर अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुऐ विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई गई है। पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट भी इस भूमि के संबंध में नहीं ली गई है। सम्पूर्ण पत्रावली में पटवारी हल्का से कहीं भी हस्ताक्षर व रिपोर्ट नहीं है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की आबादी होने का सत्यापन कराये बगैर ही यह पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने में किसी भी नियम की पालना नहीं की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का कॉलम पूर्ण रूप से खाली है और उस पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार आपत्ति आव्हान पत्र भी मूल रूप से ही पत्रावली में मौजूद है। पंचायत की आदेशिका भी एवं कार्यवाही भी सारी एक ही दिन में सम्पादित कर दी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गई है। ऐसी स्थिति में उक्त जारी किया गया पट्टा न केवल अवैध व विधि विरूद्ध है बल्कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे हैं। निगराकार की उक्त जमीन पैतृक होकर परिवारजन इस पर काबिज होकर दुकानें 30 वर्ष पुरानी बनी हुई है। मेवाड़ गवर्नमेन्ट के समय से इस भुमि पर समाज के लोग काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भुमि पहले भुखण्ड के रूप मे थी जिस पर परिवार जनों ने दुकाने निर्मित की है । उक्त दुकाने निर्मित होने से ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 27.08.2003 को एक आम सूचना प्रकाशित की और उक्त भुमि को पुलिस विभाग को पुलिस चौकी बनाने हेतु प्रदान करने डे आपत्ति निकाली गई जिस पर निगराकार द्वारा दिनांक 01.09. 2013 को उक्त भुमि उनके कब्जे आधिपत्य की होकर इस पर दुकाने बनी हुई है इस आशय की जवाबदेही दिनांक 01.09.2003 को प्रस्तुत की। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त भुमि पूर्व में मेवाड गोवर्नमेन्ट के समय से हमारे कब्जे आधिपत्य में चली आ रही है सन् 1965–66 में राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि आराजी के रूपा में खसरा संख्या 10515 दर्ज हुई थी। मेवाड गोवर्नमेन्ट के समय से ही इस भुमि पर हमारा कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार भीम द्वारा प्रकरण संख्या 367 /1981 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.1981 से होती है। इस निर्णय में भी उक्त भुमि पर निगराकार का ही आधिपत्य अर्थात स्वयं निगराकार के पिता का कब्जा भी होना प्रमाणित पाया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे में जो पडौस अंकित किये है उसमें भी निगराकार की दुकाने होना अंकित किया है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मौके पर जो दुकाने बनी हुई है वह निगराकार के परिवारजन की ही है। सरपंच ग्राम पंचायत भीम ने केवल विपक्षी संख्या दो के समाज के लोगो को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से यह पट्टा जारी किया हैं जो न केवल अवैद्य है बल्कि फर्जी एवं कुटरचित रूप से तैयार किया गया है जो निगराकार परिवार की सम्पत्ति को हडपने के उद्येश्य से किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि का पट्टा निगराकार के पक्ष में जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भीम की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पट्टा आवेदन पत्र पर दिनांक अंकित नहीं है साथ ही पटवारी की रिपोर्ट पर पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है। तथा प्रार्थी द्वारा जो सरपंच को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर भी दिनांक अंकित नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ पत्र व सत्यापन मुद्रित है। उस पर भी किसी प्रकर के स्थान व दिनांक अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जो आपत्ति आव्हान पत्र जारी किया गया इसमें 7 दिन के अंदर ऐतराज मांगे गये है। जबकि इस आपत्ति आव्हान पत्र पर कोई दिनांक ही अंकित नहीं है। तथा जो निर्णय पत्र पत्रावली में संलग्न है इस निर्णय पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। साथ ही निर्णय पत्र का हस्तलेखन तथा आवेदन का हस्तलेखन एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है तथा जो आज्ञाओ की सूची पत्रावली में उपलब्ध है। उसमें कार्यवाहीयों का विवरण मुद्रित है। परन्तु कहीं पर भी उस कार्यवाही का दिनांक अंकित नहीं है। जो आबादी भूमि का निरीक्षण पत्र संलग्न है। उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसी प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भी

कोई दिनांक अंकित नहीं है। साथ ही एक अन्य दस्तावेज जो पत्रावली में संलग्न है। उस पर भी किसी प्रकार के दिनांक का अंकन नहीं है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि इस पत्रावली को एक ही दिन में तैयार किया गया है। तथा एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है। तथा पत्रावली में जमाबन्दी संलग्न है। उसमें विवादित भूमि खसरा संख्या 10515/90900 बिलानाम गैर काबिल काश्त अंकित है। यह भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 (अ) के अंतर्गत दी गयी हो ऐसा कहीं भी दस्तावेजो से स्पष्ट नहीं होता है। जहां तक निगराकार ने इस आबादी भूमि को स्वयं का होने का अंकन किया है। तो वह इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर है क्योंकि इस न्यायालय को केवल मात्र यह निर्धारित करना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है। वह नियमित है अथवा नहीं।

अतः उपरोक्त विवेचन से न्यायालय का यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भीम द्वारा जो विवादित पट्टा जारी किया गया है। जिसकी निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है जो कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 01.06.2017 को जारी किया गया है। उक्त पट्टे को जारी किये जाने में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का समुचित रूप से पालना नहीं किया जाना दस्तावेजो से साबित होता है। तथा ग्राम पंचायत भीम को चुंकि यह भूमि राज्य सरकार द्वारा धारा 102(अ) के अंतर्गत निष्पादन हेतु सुपुर्द नहीं की गयी थी। अतः ग्राम पंचायत को इस भूमि का पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 5 दिनांक 01.06.2017 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 पांचावत समाज मण्डला भीम के पक्ष में जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)